



KANNAUJ POLICE



दिनांक: 18 जून 2024

प्रेस नोट-थाना इन्दरगढ़

थाना इंदरगढ़ पुलिस द्वारा 24 घण्टे में थाना क्षेत्रान्तर्गत चोरी करने वाले 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, कब्जे से की चोरी की 04 कंगन, 01 जोड़ी झाले, 01 जोड़ी झुमके, 01 जोड़ी सूईधागा, 01 कान की बाली की बरामदगी।

पुलिस अधीक्षक कन्नौज अमित कुमार आनन्द द्वारा चलाये जा रहे अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक कन्नौज डॉ संसार सिंह के पर्यवेक्षण में एवं क्षेत्राधिकारी तिर्वा डॉ प्रियंका बाजपेई के मार्गदर्शन में व थानाध्यक्ष आनन्द कुमार मिश्र के कुशल नेतृत्व में थाना इंदरगढ़ पुलिस द्वारा सराहनीय कार्य करते हुये थाना इंदरगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 168/2024 धारा- 380 भादवि से सम्बन्धित चोरी गये माल की अन्दर 24 घण्टे में चार सोने के कंगन, कान के एक जोड़ी झाले, एक जोड़ी झुमके, एक जोड़ी सूईधागा, एक कान की बाली (शत प्रतिशत) बरामदगी की गयी एवं घटना कारित करने वाले 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनांक 17.06.2024 को वादी दीपक चतुर्वेदी उम्र 40 वर्ष पुत्र प्रभुदयाल निवासी ग्राम मझिला पोस्ट रामपुर थाना इन्दरगढ़ जनपद कन्नौज द्वारा प्रार्थना पत्र दिया कि दिनांक 16.06.2024 को वादी मय पूरा परिवार लखनऊ गया था। जब दिनांक 17.06.2024 वापस घर आए तो देखा कि अज्ञात चोरों द्वारा घर का ताला तोड़कर वादी के घर मे रखे बक्से से चार सोने के कंगन, कान के एक जोड़ी झाले, एक जोड़ी झुमके, एक जोड़ी सूईधागा, एक कान की बाली चोरी कर लिए हैं। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना इंदरगढ़ पर मु0अ0सं0 168/2024 धारा 380 भादवि का अभियोग बनाम अज्ञात चोर नाम पता अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है एवं चोरी गये माल की बरामदगी के सम्बन्ध में थाना इंदरगढ़ पर टीम गठित की गयी। गठित टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये 24 घण्टे के अन्दर ही चोरी की घटना को अन्जाम देने वाले 03 अभियुक्तों 1. राघव ठाकुर पुत्र तेजेंद्र सिंह उम्र करीब 20 वर्ष 2. अजीत पुत्र अरुण कुमार उम्र करीब 19 वर्ष निवासीगण ग्राम मझिला थाना इंदरगढ़ व 3. एक नाबालिक को ग्राम मझिला में पानी की टंकी के पास समय करीब 08:30 बजे सुबह गिरफ्तार किया गया एवं अभियुक्त के पास से चोरी गये माल उपरोक्त की शतप्रतिशत बरामदगी की गयी। मुकदमा उपरोक्त में 457/411 भादवि की बढ़ोत्तरी करते हुये नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पूँछताछ का विवरण:-

अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि दिनांक 16.06.2024 की रात्रि में गांव के दीपक चतुर्वेदी जो अपने परिवार के साथ घर का ताला बन्द करके लखनऊ चले गये थे, को हम लोगों ने ताला तोडकर चोरी की थी। जिसे आज हम लोग बेचने जा रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम:-

11. राघव ठाकुर पुत्र तेजेंद्र सिंह निवासी ग्राम मझिला थाना इन्दरगढ जनपद कन्नौज उम्र करीब 20 वर्ष
2. अजीत पुत्र अरुण कुमार निवासी ग्राम मझिला थाना इन्दरगढ जनपद कन्नौज उम्र करीब 19 वर्ष
3. 01 बाल अपचारी

वांछित अभियुक्तगण का विवरण-

अनुज पुत्र तेजेंद्र सिंह निवासी ग्राम मझिला थाना इन्दरगढ जनपद कन्नौज

बरामदगी का विवरण -

1. 04 कंगन
2. 01 जोडी झाले
3. 01 जोडी झुमके(दो खण्ड वाले)
4. 01 जोडी सूईधागा
5. 01 कान की बाली

गिरफ्तारी करने वाली टीम :-

- 1 थानाध्यक्ष आनंद कुमार मिश्रा
2. उ0नि0 हरेकृष्णा
3. हे0का0 धीरेन्द्र सिंह
4. का0 गौरव कुमार
5. का0 अमित कुमार
6. का0 प्रशान्त यादव
7. का0 मनीष कुमार
8. का0 दिलीप यादव

समस्त थाना इन्दरगढ जनपद कन्नौज

पुलिस अधीक्षक कन्नौज अमित कुमार आनंद द्वारा चोरी का अनावरण करने वाली थाना इन्दरगढ पुलिस टीम को 10,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया।

